संख्या बी-1- 1840 /दस-2003

प्रेषक,

लहरी यादव,
बजट अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
खाद्य तथा रसद विभाग ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2003

विषय:- अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को डी.डी.ओ. कोड आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14 अप्रैल,2003 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित जिला उपभोक्ता फोरम के कार्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या-2434 आवंटित की जाती है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद में स्थापित जिला उपभोक्ता फोरम (द्वितीय) के अध्यक्षों को भी आहरण वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या-2435 आवंटित की जाती है ।

उपर्युक्त आहरण वितरण अधिकारी, उनसे सम्बन्धित कोषागार से आहरण वितरण का कार्य सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी ।

संख्या बी-1- 1840 (1)/दस-2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,लखनऊ ।
6- खाद्य तथा रसद अनुभाग-8
7- समस्त सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारीगण ।
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
29.04

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी ।